

डिकरी व मुकदमें इब्तादाई
(आर्डर 20 रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)
अज अदालत सहायक कलक्टर नदबई
व इजलास श्री गंगाधर भीना ,आर.ए.एस

मु0 उनवान सुरेशचंद बनाम उमेशचंद

दावा बाबत 53,188 रा0का0 अधिनियम

मुकदमा नंबर 126/2015

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू-ब-रू- व हाजरी वादी
मिनजानिब मुददठ व मिनजानिब मुददालय पेश होकर , हुकम दिया जाता है व
डिकरी दी जाती है कि


वादी व प्रतिवादी को कुर्राजात प्रस्ताव दिनांक 29.05.2024 के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। कुर्राजात प्रस्ताव दिनांक 29.05.2024 (प्रदर्श-अ) के अनुसार वादी व प्रतिवादी के नाम पृथक से खाता विभाजन कर लगान कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। कुर्राजात प्रस्ताव दिनांक 29.05.2024 प्रदर्श-"अ" इस निर्णय व अन्तिम डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार नदबई रिकॉर्ड में अमल तरमीम करावें। एक दूसरे को मिलने वाले खसरे/कब्जे काश्त /हक अधिकार में, किसी तरह की दखल मजामहत, किसी भी रूप में, किसी भी माध्यम से, न करें, न करावें। रहन यदि कोई हो तो संबंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरे/रकवे/हिस्से के विरुद्ध दर्ज किया जावे। लगान आनुपातिक कायम करें।

बेज - मुबलिग - - - - - बावत - - - - - खर्चा इस मुकदमें के मयसुद व शरह
-----फीसदी सालाना आज की तारीख सं तारीख व सुलयाबी तक ----- की अदा करें।

दसब्ब व मुहर अदालत के आज तारीख **15.07.2024** को जारी की गई ।

मुहर

दस्तखत


15/7/24

मुददई	रूपया	पैसा	मुददालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अराजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीशनर बावत इजराय हुकम नामा मुतफरिंक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीशनर बावत इजराय हुकमनामा मुतफरिंक		
मीजान			मीजान		

1. सुरेशचंद पुत्र प्रभूदयाल जाति जाट निवासी अरौदा तह.नदबई (भरतपुर)

बनाम

वादी

1. उमेशचंद पुत्र प्रभूदयाल जाति जाट निवासी अरौदा तह.नदबई(भरतपुर)
2. राज. सरकार जरिये तहसीलदार नदबई
3. बी.आर.के.जी.बी.शाखा डहरा जरिये शाखा प्रबंधक
4. सब रजिस्ट्रार नदबई

प्रतिवादीगण

15/7/24

न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी:- श्री गंगाधर मीना (R.A.S.)

दावा सं.
126 / 2015

रजू दिनांक
28.08.2015

अन्तिम पर्चा डिक्री दिनांक
15.07.2024

उनवान

1. सुरेशचंद पुत्र प्रभूदयाल जाति जाट निवासी अरौदा तह.नदबई (भरतपुर)

वादी

बनाम

1. उमेशचंद पुत्र प्रभूदयाल जाति जाट निवासी अरौदा तह.नदबई(भरतपुर)
2. राज. सरकार जरिये तहसीलदार नदबई
3. बी.आर.के.जी.बी.शाखा डहरा जरिये शाखा प्रबंधक
4. सब रजिस्ट्रार नदबई

प्रतिवादीगण

दावा- 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

-: अन्तिम पर्चा डिक्री :-

वादी एवं प्रतिवादी वकील की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 15.07.2024 को श्री गंगाधर मीना सहायक कलक्टर नदबई के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाता है और अन्तिम पर्चा डिक्री दी जाती है :-


वादी के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में वाद का अन्तिम निर्णय किया जाता है एवं विवादित हाल आराजी खसरा संख्या 893 रकवा 0.43, 895 रकवा 0.40, 1708 रकवा 1.17, 2053 रकवा 0.20, 2202 रकवा 0.16, 2204 रकवा 0.18, 2205 रकवा 0.36 वाके ग्राम अरौदा तहसील नदबई तहसील नदबई में स्थित है।

वादी व प्रतिवादी को कुराजात प्रस्ताव दिनांक 29.05.2024 के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। कुराजात प्रस्ताव दिनांक 29.05.2024 (प्रदर्श-अ) के अनुसार वादी व प्रतिवादी के नाम पृथक से खाता विभाजन कर लगान कायम किये जाने के आदेश दिये


15/7/24

जाते हैं। कुराजात प्रस्ताव दिनांक 29.05.2024 प्रदर्श-“अ” इस निर्णय व अन्तिम डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार नदबई रिकॉर्ड में अमल तरमीम करावें। एक दूसरे को मिलने वाले खसरे/कब्जे काश्त /हक अधिकार में, किसी तरह की दखल मजामहत, किसी भी रूप में, किसी भी माध्यम से, न करें, न करावें। रहन यदि कोई हो तो संबंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरे/रकवे/हिस्से के विरुद्ध दर्ज किया जावे। लगान आनुपातिक कायम करें।

यह अन्तिम पर्चा डिक्री आज दिनांक 15.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(गंगाधर मीना R.A.S.)

सहायक कलक्टर नदबई

